बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–22/2020 129 पटना, दिनांक: 11/04/22

कार्यालय आदेश

श्री एस०एम०परवेज कादरी, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उप महाप्रबंधक, प्रशासन, बिहार स्टेट फुड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि० के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–5622 दिनांक–03.07.2020 के साथ प्रबंधक निदेशक, बिहार स्टेट फुड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि० द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–42 सहपठित ज्ञापांक–407 दिनांक–16.03.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), गोपालगंज को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

2. श्री एस०एम०परवेज कादरी के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्नांकित आरोप गठित किये गये :–

i. अनुदानित खाद्यान्न को क्षतिग्रस्त करने का आरोप ।

ii. निलामी के विरूद्ध उठाव कराये गये चावल एवं टी०पी०डी०पी०एस० गोदाम, मीरगंज एवं हथुआ से संबंधित अभिलेख/कागजात का प्रभार नहीं दिये जाने का आरोप।

iii. उच्चाधिकारी आदेश की अवहेलना एवं मनमानेपूर्ण कार्य कर स्थानांतरित जिला में योगदान नहीं करने का आरोप।

3. श्री एस०एम०परवेज कादरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–81/वि० जाँच, दिनांक–23.08.2021 द्वारा श्री एस०एम०परवेज कादरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य दिया है :–

" अभिलेख में उपलब्ध कागजात उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन/साक्ष्य का अवलोकन किया। उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज द्वारा जाँच कर प्रतिवेदित किया गया है कि श्री एस०एम०परवेज कादरी का कथन असत्य है क्योंकि श्री कादरी द्वारा प्रभार प्राप्ति के उपरान्त से ही खाद्यान्न को अस्त–व्यस्त रखा जाने लगा, जिस कारण मीरगंज टी०पी०डी०एस० गोदाम के निरीक्षण के क्रम में तत्कालीन जिला प्रबंधक द्वारा अपने पत्रांक–1151 दिनांक–07.08.2015 द्वारा

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"

सख्त हिदायत दी गई थी कि गोदाम में HIFO (फर्स्ट इन फस्ट आउट) के तर्ज पर खाद्यान्न का वितरण हर हाल में किया गया जाए ताकि खाद्यान्न दबा न रह जाए साथ ही गोदाम में खाद्यान्न रखते समय पूरी सावधानी बरतें एवं भारतीय खाद्य निगम के मानक के अनुरूप ही खाद्यान्न रखें। साथ ही यह भी निदेशित किया गया था कि यदि आपको ऐसा लगता है किसी गोदाम में खाद्यान्न खराब हो सकता है, तो वहाँ खाद्यान्न बिल्कुल न रखें। उक्त निदेश के बावजूद भी श्री कादरी द्वारा HIFO (फर्स्ट इन फस्ट आउट) एवं जिला प्रबंधक के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया जिस कारण गोदाम में खाद्यान्न खराब हो गया। साथ ही पैर टूटने के उपरान्त भी श्री कादरी जब स्वस्थ हो गये तो उन्हें गोदाम का संचालन करना चाहिए था, परन्तु श्री कादरी लगभग चार माह का अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इस कारण भी खाद्यान्न की गुणवत्ता के ह्रास होने से इनकार नहीं किया जा सकता । निलामी के शेष चावल एवं हथुआ सुगर मिल मीरगंज गोदाम सं०04/09 का प्रभार संबंधित सहायक प्रबंधक को देने हेतु उनके पत्रांक–292 दिनांक–19.05.2018, पत्रांक–795 दिनांक–09.11.2018 एवं निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक–5348 दिनांक– 22.05.2019 तथा पत्रांक– 116 दिनांक – 07.02.2020, पत्रांक– 580 दिनांक–16.06.2020, पत्रांक–697 दिनांक–25.07.2020 एवं पत्रांक–792 दिनांक–29.08.2020 द्वारा बार–बार निदेशित करने के बावजूद भी अबतक श्री कादरी द्वारा उक्त गोदाम एवं निलामी के अवशेष चावल का प्रभार नहीं दिया गया है। जहॉ तक दुर्घटना की बात है पैर टूटने के उपरान्त दिनांक–18.11.2017 से तत्कालीन जिला प्रबंधक द्वारा इन्हें अन्य स्टाफ के साथ बेहतर इलाज हेतु पटना भेज दिया गया था। इसके उपरान्त बार–बार श्री कादरी से गोदाम संचालन हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु श्री कादरी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे, एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना हेतु स्पष्टीकरण की मांग भी की गयी है, जिसका कोई जवाब नही दिया गया है। श्री कादरी का यह रवैया वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। जहाँ तक श्री कादरी से गोदाम ठीक कराने के लिए खर्च करने की बात कही गयी है इस संदर्भ में कहना है कि यदि गोदाम ठीक कराने में श्री कादरी द्वारा खर्च किया गया था, तो उस खर्च का ब्यौरा श्री कादरी द्वारा जिला कार्यालय में दिया जाना चाहिए था, जिस राशि की मांग निगम मुख्यालय से कर उनका भुगतान किया जाता, परन्तु श्री कादरी द्वारा अबतक गोदाम ठीक कराने में लगे खर्च का कोई विपत्र अथवा साक्ष्य कार्यालय में नहीं दिया गया, बेड रेस्ट के नाम पर श्री कादरी लगभग चार माह तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे, जिस कारण खाद्यान्न की गुणवत्ता में ह्रास होने से इंकार नहीं किया जा सकता श्री कादरी के द्वारा अपने बचाव में जिस निरीक्षण प्रतिवेदन का जिक्र किया गया है एवं उसे संलग्न होने की बात कही गयी है, उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में कोई कागजात इस संबंध में दाखिल नहीं किया गया है।

इस प्रकार आरोपी श्री एस०एम०परवेज कादरी , तत्कालीन सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप के संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य से आरोप प्रमाणित हो रहे हैं।''

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित हो रहे हैं, के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्रांक–1159 दिनांक–15.09.2021 द्वारा श्री एस०एम० परवेज कादरी से अभ्यावेदन की मांग की गयी । निदेशालय के पत्रांक–1611 दिनांक–10.12.2021 द्वारा स्मारित किया गया। श्री एस०एम० परवेज कादरी ने समर्पित अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

" पूर्व सहायक प्रबंधक श्री वर्मा ने सही ढंग से गोदाम का प्रभार 17.10.2015 के बाद ही दिया। इस बीच जिला प्रबंधक ने गोदाम जाँच कर टिप्पणी किया। उस समय वर्माजी, लिफ्टिंग इन्चार्ज राजू भी संयुक्त रूप से गोदाम चला रहे थे।

इस बीच मीरगंज गोदाम के चार्ज लेने के बाद हथुआ गोदाम को लगभग चार माह तक बन्द छोड़ दिया गया जिससे वहाँ अनाज प्रभावित हुआ। इस संबंध में वे जिला प्रबंधक से मौखिक एवं लिखित आग्रह किये परन्तु ससमय कार्यवाही नहीं की गई।

इसी तरह आँधी –तूफान से गोदाम का उपरी छत टूट गया जिसकी सूचना तुरंत दूरभाष से उनके द्वारा दिया गया और काम करवाया । इस बीच कुछ पानी घूस जाने से अनाज खराब हुआ। इसके अतिरिक्त जिला प्रबंधक द्वारा हमेशा अधिक ट्रक भेजा जाता था और sale की गाड़ी (Transporter की) कम होती थी जिससे अनाज का भंडार बढ़ता जा रहा था। इन सब बिन्दुओं पर उनके द्वारा सदा अवगत कराया जाता था, परन्तु सही समय पर कार्रवाई नहीं की जाती थी जिससे अनाज खराब होता था।

दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों के द्वारा गोदाम का रौशनदान तोड़कर गोदाम को असुरक्षित क्षेत्र बना दिया था जिसकी जानकारी जिला प्रबंधक, अनुमंडलाधिकारी, हथुआ एवं मीरगंज थाना में दिया गया, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके ठीक विपरीत उनसे ही गोदाम ठीक कराने और कमी पूरी करने में अधिक से अधिक खर्च करने के लिए कहा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि इसके बीच जो निरीक्षण होगा उससे आपको पता चलेगा कि गोदाम पूरी तरह ठीक हो गया है।

अनुमंडलाधिकारी, हथुआ द्वारा उनके चार्ज देने के बाद 13.04.2018 को गोदाम का निरीक्षण किया और सही पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनपर अब किसी तरह का आरोप सही नहीं है।"

श्री एस०एम०परवेज कादरी के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोप पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षा के उपरान्त यह तथ्य परिलक्षित होता है कि श्री कादरी का रवैया वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। श्री कादरी के लगभग चार माह तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण खाद्यान्न की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है । श्री कादरी के द्वारा अपने बचाव में जिस निरीक्षण प्रतिवेदन का जिक्र किया गया है एवं उसे संलग्न होने की बात कही गयी है उनके द्वारा इस संबंध में कोई कागजात संलग्न नहीं किया गया है।

5. अतः श्री एस०एम०परवेज कादरी, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उन पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (ख) मे किये गये प्रावधान के तहत उनके पेंशन से 5 % (पाँच प्रतिशत) पेंशन राशि पाँच वर्षो के लिए कटौती करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

6. यह दण्ड निदेशालय के का०आ०सं०–45 सहपठित ज्ञापांक–445 दिनांक–19.03.2021 द्वारा श्री एस०एम०परवेज कादरी को दिये गये दण्ड "उनके पेंशन का 5% (पाँच प्रतिशत) राशि पाँच वर्षो तक के लिए कटौती करने का अधिरोपित दण्ड " के अतिरिक्त होगा।

ह०/–

(बैद्यनाथ यादव)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–22/2020 638 पटना, दिनांक :– 11/04/22

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. उप महाप्रबंधक, प्रशासन, बिहार स्टेट फुड एंड सिविल सप्लाईल कॉरपोरेशन, लि०, पटना को उनके आदेश ज्ञापांक–5622 दिनांक–03.07.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सहायक निदेशक(स्थापना)/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. मो०एस०एम०परवेज कादरी, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज संप्रति सेवानिवृत, पता नं०–1. फ्लैट नं०–3, जफर मेन्सन अपार्टमेन्ट, नियर ब्लू डायमंड होटल, जामुन गली, सब्जीबाग, पटना–800004, पता नं०–2. 101, पार्कव्यू अपार्टमेन्ट, सालिमपुर अहरा, साउथ गॉधी मैदान, पटना–800003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, 11/4/2022